पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 6670

==

अशोक कुमार शर्मा, कामता प्रसाद शर्मा का पुत्र, गोदाम रोड बोधगया निवासी, थाना-बोधगया, जिला-गया।

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. निदेशक कृषि, बिहार, पटना।
3. जिला कृषि अधिकारी, पटना।

.... प्रतिवादीगण

==

भारतीय संविधान, 1950- अनुच्छेद 226

बिहार सरकारी कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 2005

वर्तमान रिट याचिका, याचिकार्ता के खिलाफ शुरु की गई विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए दायर की गई। याचिकार्ता के अनुसार आरोपपत्र और प्राथमिकी की सामग्री समान है इसलिए आपराधिक मामला लंबित होने तक उसके खिलाफ आगे नहीं बढ सकती।

निर्णित किया गया की विभागीय कार्यवाही और आपराधिक मामला एक ही सामग्री पर एक साथ चल सकते हैं क्योंकि आपराधिक न्यायशास्त्र और सेवा न्यायशास्त्र के परिक्षण अलग-अलग हैं। फिर निर्णित किया गया की आपराधिक न्यायशास्त्र उन घटकों का परिक्षण करता है जो सभी उचित संदेहों से परे एक अपराध का गठन करते हैं, जबकि विभागीय कार्यवाही नियोकता के खिलाफ कर्मचारियों द्‍वारा किए गए काम के आरोप का परिक्षण करती है जिसमें सेवओं के शर्तो का उल्लंघन होता है।

[पारा 2, 3, 6 और 8]

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 6670

==

अशोक कुमार शर्मा, कामता प्रसाद शर्मा का पुत्र, गोदाम रोड बोधगया निवासी, थाना-बोधगया, जिला-गया।

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. निदेशक कृषि, बिहार, पटना।
3. जिला कृषि अधिकारी, पटना।

.... प्रतिवादीगण

==

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए : श्री अमित कुमार, अधिवक्ता।

उत्तरदातागण के लिएः श्री नीलोत्पल शर्मा, (एसी से जीपी-21)

==

कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमान

मौखिक न्यायादेश

तिथि: 06-03-2024

1. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और राज्य के विद्वान वकील को सुना।

2. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता के खिलाफ दिनांक 1 (अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न) के आरोप पत्र के अनुसार शुरू की गई विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए दायर की गई है, जब तक कि तथ्यों और आरोपों और साक्ष्यों के समान सेट के आधार पर आपराधिक मामला पूरा नहीं हो जाता।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आरोप पत्र और प्राथमिकी की सामग्री समान है और इसलिए, आपराधिक मामला लंबित होने तक विभागीय कार्यवाही उसके खिलाफ आगे नहीं बढ़ सकती है।

4. दूसरी ओर राज्य के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि दूसरे कॉलम, आरोप का विवरण इंगित करता है कि प्राथमिकी का आरोप और आरोपों का विवरण दो अलग-अलग मामले हैं और इसलिए, कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता है और दोनों कार्यवाही एक साथ चल सकती हैं।

5. पक्षकारों को सुनने के साथ-साथ अभिवचनों को देखने के बाद, इस न्यायालय के लिए एकमात्र सवाल जिसका निर्णय लिया जाना है कि क्या विभागीय कार्यवाही और एक ही आरोप पर आपराधिक मामला एक साथ चल सकता है या नहीं।

6. इस संबंध में, कानून की स्थिति बहुत स्पष्ट है कि आपराधिक न्यायशास्त्र कार्रवाई के उन घटकों का परीक्षण करता है जो सभी उचित संदेहों से परे एक अपराध का गठन करते हैं, जबकि विभागीय कार्यवाही नियोक्ता के खिलाफ कर्मचारियों द्वारा किए गए काम के आरोप का परीक्षण करती है जिसमें सेवाओं की शर्तों का उल्लंघन होता है जिसमें कर्मचारी को काम करना होता है। इसलिए, घटना समान हो सकती है, लेकिन आपराधिक न्यायशास्त्र और सेवा न्यायशास्त्र के लिए परीक्षण अलग हैं और मामले-दर-मामले भिन्न होते हैं।

7. यह इस न्यायालय को यह भी बताता है कि दिनांक 13.04.2017 के आरोप पत्र के माध्यम से, याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया गया है। लेकिन, आज

अंतिम सुनवाई की तारीख पर, इस न्यायालय का दृढ़ विचार है कि आपराधिक न्याय प्रणाली और सेवा न्यायशास्त्र के तहत कार्रवाई 2018 के पटना उच्च न्यायालय सी. डब्ल्यू. जे. सी. No.6670 के रूप में एक साथ चल सकती है। सेवा न्यायशास्त्र के आरोप का विवरण आरोप ज्ञापन के दूसरे कॉलम में वर्णित किया गया है कि आरोप ज्ञापन में तीसरे आरोप में दर्ज किया गया बिंदु केवल आपराधिक मामले से संबंधित है। अधिकारी एक साथ विभागीय और आपराधिक कार्यवाही जारी रखने के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन केवल इस बात का ध्यान रखेगा कि आपराधिक मामले के निष्कर्ष और सेवा मामलों के निष्कर्ष अलग-अलग होने चाहिए और उनके प्रावधानों का मानक भी अलग-अलग होना चाहिए।

8. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका का निपटारा इसके द्वारा अधिकारियों को कानून के अनुसार और बिहार सरकारी कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 2005 के सख्त दिशानिर्देशों के तहत आगे बढ़ने का निर्देश देते हुए किया जाता है।

(डॉ. अंशुमन, न्यायमूर्ति)

दिव्यांश/-

खण्डन (डिस्क्लेमर) - स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणीक होगा प्रमाणिक ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।